

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1951
उत्तर देने की तारीख-05/08/2026

सरकारी विद्यालयों में शिक्षुता-आधारित डिग्री कार्यक्रम एवं रिक्त पदों का नियमितीकरण

1951 डा. सिकंदर कुमार:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) हिमाचल प्रदेश के राज्य महाविद्यालयों में हाल ही में प्रारंभ किए गए शिक्षुता-आधारित डिग्री कार्यक्रमों तथा विशेषीकृत बी.वोक. पाठ्यक्रमों के समर्थन के लिए प्रदत्त वित्तीय सहायता अथवा संरचनागत दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है;
- (ख) सीबीएसई से संबद्ध विद्यालयों में परिवर्तन अभियान के अंतर्गत राज्य में नव-नियुक्त 3,468 शिक्षकों के पदों हेतु अवसंरचना के मानकीकरण के लिए अनुमोदित की गई वर्तमान समय-सीमा तथा केंद्र द्वारा वित्तपोषण के पैटर्न का ब्यौरा क्या है; और
- (ग) अत्यधिक ऊँचाई वाले क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों में अनिवार्य सुरक्षा उपकरणों तथा डिजिटल अधिगम प्रयोगशालाओं की स्थापना में तेजी लाने के लिए समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत क्या-क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डा. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ग): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने देश भर के उच्चतर शिक्षा संस्थानों को ज्ञान अधिग्रहण और कुशल मानव क्षमताओं और आजीविका के उन्नयन के लिए सामुदायिक कॉलेजों, बी.वोक डिग्री कार्यक्रमों और दीन दयाल उपाध्याय केंद्रों के माध्यम से राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के तहत कौशल आधारित शिक्षा प्रदान करने की सुविधा प्रदान की है। हिमाचल प्रदेश में, एनएसक्यूएफ के तहत कौशल-आधारित कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए वर्ष 2020 के दौरान तीन उच्चतर शिक्षा संस्थानों को अनुमोदन दिया गया था। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) और यूजीसी ने अपने-अपने डोमेन के तहत उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लिए अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम (एईडीपी), 2025 के लिए

दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों में उनके संबंधित प्रावधानों के अनुसार एचईआईएस में एईडीपी कार्यक्रमों को संचालित करने का प्रावधान है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य परिणाम-आधारित शिक्षा, उद्योग-प्रासंगिक कौशल, उच्चतर शिक्षा संस्थानों और उद्योगों/प्रतिष्ठानों के बीच जुड़ाव और संरचित शिक्षुता प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार क्षमता में सुधार करना है। राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस) के साथ शिक्षुता सन्निहित डिग्री कार्यक्रमों के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे शिक्षुओं को डिग्री कार्यक्रमों के मामले में प्रति माह 12,300 रुपये के न्यूनतम वजीफे के लिए पात्र हैं। केन्द्र सरकार निर्धारित न्यूनतम वजीफे का 50 प्रतिशत वहन करती है और शेष 50 प्रतिशत उस प्रतिष्ठान द्वारा वहन किया जाता है जहां शिक्षुता प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। केन्द्र सरकार का हिस्सा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से सीधे प्रशिक्षुओं के बैंक खातों में अंतरित किया जाता है। इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से चयनित सरकारी कॉलेजों में अप्रेंटिसशिप एंबेडेड डिग्री प्रोग्राम (एईडीपी) शुरू करने का अनुमोदन दिया है।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश में सीबीएसई से संबद्ध उत्कृष्टता वाले स्कूल संबंधी योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) में परिवर्तन के लिए 147 सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों को अनुमोदित किया है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्ध सरकारी स्कूलों में निर्धारित मानदेय/समेकित राशि पर शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी योजना के अंतर्गत इन स्कूलों की स्टाफिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 3,619 शिक्षकों की नियुक्ति अनुमोदित की गई है।

वर्ष 2026-2027 के लिए, भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश को समग्र शिक्षा के तहत 695.00 करोड़ रुपये अनुमोदित किए हैं। इन निधियों का उपयोग सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं के निर्माण और सुदृढीकरण के लिए और राज्य में शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए भी किया जाएगा।
